

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 से 3

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हेतु राशि ₹ 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सूखा प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋणों की आंशिक माफी हेतु ₹ 960.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 9,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 5

उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनी को अनुदान हेतु ₹ 10441.44 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,04,41,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 6

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शीर्ष वर्गीकरण मांग संख्या-64, मुख्य शीर्ष 4801-06-902-0410-6758 के अंतर्गत किए गए प्रावधान ₹ 7,94,50,958/- के विरुद्ध पुनर्प्राप्तियां राशि ₹ 7,94,50,958/- समायोजित होने के कारण इस अनुपूरक में कृषि पंपों का ऊर्जाकरण हेतु ₹ 7,94,50,958/- का प्रावधान किया गया है । यह राशि शीर्ष वर्गीकरण 4801-06-902-40-002 के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति के लिए भी मान्य होगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,94,50,958/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,94,50,958/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 7 से 8

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹ 960.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।